संख्याः 313/XVII(2)/2008-09(61)/2008

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून 25 दिनांक 25 जून, 2008

विषयः सैनिकों की विभिन्न समस्याओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु अधिकारी/कार्मिक नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री के पत्रांक-30/पीएस/पीएससीएम/2007 दिनांक 28 मार्च, 2007 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालयों में सैनिकों की विभिन्न समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर इस कार्य हेतु योग्य अधिकारी/कार्मिक नामित करते हुये, इसकी सूचना जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों एवं निदेशालय, सैनिक कल्याण देहरादून को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सैनिकों की विभिन्न समस्याओं का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः- 313 /XVII(2)/2008-09(61)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रेषित।

1. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, देहरादून।
2. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार नामित अधिकारी से संबंधित समस्त विवरण अपने कार्यालयों में चस्पा करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या : 30/पीएस/पीएससीम/2007
दिनांक : 28 मार्च, 2007

समस्त मंडलायुक्त
समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड

मा. मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि उत्तराखंण्ड राज्य एक सैनिक बाहुल्य राज्य है तथा राज्य के दोनों मंडलों के समस्त जनपदों से अधिकांश पुरूष सदस्य कहीं न कहीं सैनिक अधिकारी तथा सैनिक कर्मचारी के रूप में प्रदेश से बाहर दूरस्थ सीमाओं में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में तैनात रहते हैं जहां से उनका अपना पैतृक निवास से विषम भौगोलिक परिस्थियों के कारण सम्पर्क नहीं रहता है और जब वह अल्प समय के लिए अवकाश पर आते हैं तो वह विभिन्न पारिवारिक समस्याओं से जूझते हैं तथा जनपदों तथा मंडल स्तर पर विभिन्न विभागों तथा विशेषकर जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर आतें है । मा. मुख्य मंत्री जी ने यह अपेक्षा की है कि चूंकि सेवारत सैनिक अधिकारी/कर्मचारी बहुत कम समय के लिए अपने गृह जनपद में आते हैं और जब वह जिलाधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारियों से अपनी समस्याओं को लेकर मिलते हैं तो उन्हें प्रथम वरीयता देते हुए सुना जाय तथा तात्कालिक तौर पर उनकी जेनियून समस्याओं (genuine problems) का समाधान कर दिया जाय।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यालयों में सैनिकों की समस्याओं से सम्बन्धित जों प्रार्थनापत्र, आवेदन, प्रतिवेदन आतें है उनकी अलग से एक पंजिका रखी जाय जिसमें सैनिक अधिकारी/कर्मचारी का नाम, स्थायी पता, समस्या का संक्षिप्त विवरण तथा कार्यालय द्वारा समस्याओं के सम्बन्ध में त्वरित की गयी कार्यवाही आदि अंकित हो। जिलाधिकारी तथा जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में इसका अनुश्रवण करें और देखें कि सेवारत सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के कोई प्रार्थनापत्र/आवेदन/शिकायत अनिस्तारित न रहें ।

मा. मुख्य मंत्री जी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि सैनिकों की समस्याओं के समाधान के अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारियों द्वारा मासिक बैठक में जिलास्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ इसका अनुश्रवण किया जाय और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को यह दायित्व दिया जाय कि वह इनका विभागवार स्थिति पत्रक रखें ताकि संकलित सूचना जिलाधिकारियों तथा मंडलायुक्त के पास उपलब्ध रहे ।

हस्ताक्षरित/–xxxx
(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री